22/2022/I/147005/2022-71-2099/628/2021

प्रेषक,

शुभ्रा सक्सेना,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक ,
एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 12 मार्च 2022

विषयः-संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में एडवान्स आप्थेल्मिक सेन्टर एवं सर्विस ब्लाक के निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-पी0जी0आई0/सिविल/अभि0/एन0बी0-91/2013/69/2022 दिनांक 18-02-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में एडवान्स आप्थेल्मिक सेन्टर एवं सर्विस ब्लाक के निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- प्रश्नगत प्रायोजना हेतु शासनादेश संख्या-79/2021/I/84077/2021, दिनांक 30-07-2021 द्वारा रू0 6139.72 लाख की पुनरीक्षित लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। प्रायोजना हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से अब तक धनराशि कुल 4966.13 लाख अवमुक्त की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	धनराशि (रू0 लाख में)
1	संख्या-1875/71-2-14-पी-15/2013, दिनांक 22 सितम्बर, 2014	2284.62
2	संख्या-7/3867/71-2-14-पी-15/2013, दिनांक 20 नवम्बर, 2014	479.77
3	संख्या-1073/71-2-16-पी-15/2013, दिनांक 31 मार्च, 2016	500.00
4	संख्या-143/2018/3287/71-2-2018-पी-15/2013, दिनांक 29.11.2018	830.92
5	संख्या-16/2020/458/71-2-2020-पी-15/2013, दिनांक 19 फरवरी, 2020	299.67
6	संख्या-01/2020/4510/71-2-2020-पी-15/2013, दिनांक 01 जनवरी, 2021	571.15
	योग	**4966.13**

3- आपके उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 18-02-2022 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्थान परिसर में एडवान्स आप्थेल्मिक सेन्टर एवं सर्विस ब्लाक के निर्माण कार्य हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद-24 वृहद निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि रू0 7000.00 लाख के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सापेक्ष अवशेष धनराशि रु० 2154.19 में से प्रायोजना के निर्माण कार्य हेतु 05 प्रतिशत की धनराशि को रोकते हुये चतुर्थ किश्त की धनराशि रू0 866.60 लाख (रूपये आठ करोड़ छाछठ लाख साठ हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। अन्य कार्य हेतु व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2. वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों के प्रतिबन्धों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संस्थान के वित्त नियंत्रक का होगा।
3. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, संस्थान की होगी।
4. निदेशक, संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
5. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैक खाते आदि में नही रखा जायेगा।
6. पी0एफ0ए0डी0 द्वारा निर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
8. कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सैंटेज देय होगा।
9. प्रश्नगत प्रायोजना के पूर्ण होने की संभावित तिथि व कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराया जाए। कार्यदायी संस्था/संस्थान सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
10. शासनादेश संख्या-79/2021/I/84077/2021, दिनांक 30-07-2021 की सुसंगत शर्ते/प्रतिबन्ध यथावत रहेगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22, मार्च 2021 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित अधिकारों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

(शुभ्रा सक्सेना)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार -:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
4. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. वित्त अधिकारी, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
6. महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमि0, लखनऊ।
7. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।